

FORM No- III  
 फर्द अहकाम  
 (नियम 26)

अज अदालत- न्यायालय सहायक कलक्टर/ उपखण्ड अधिकारी  
 रामसहाय  
 किस्म मुकदमा-प्रार्थना पत्र अन्तर्गतधारा 212 आर.टी.एक्ट

मुकाम -वैर (भरतपुर)  
 हरदेई  
 नं० 225 सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.12.2025	<p>प्रार्थी के वकील श्री रमेशचन्द सोगरवाल द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी को जरिये रजि० ए.डी नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 27.01.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><b>उपखण्ड अधिकारी वैर (भरतपुर)</b></p>	
01 27/26	<p>फरीकन उपस्थित/अनु. पीठासीन अधिकारी को पत्रावली पूर्व आदेश अनुसार दि. 21-1-26 को पेश है</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी वैर</b></p>	
4-3-26	<p>फरीकन उपस्थित/अनु. पीठासीन अधिकारी को पत्रावली पूर्व आदेश अनुसार दि. 21-4-26 को पेश है</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी वैर</b></p>	
21/26	<p>फरीकन उपस्थित/अनु. पीठासीन अधिकारी को पत्रावली पूर्व आदेश अनुसार दि. 21-1-26 को पेश है</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी वैर</b></p>	
18/26	<p>प्रकार पत्र हुआ इस प्रकार प्रार्थी अप्रार्थी को पत्रावली पूर्व आदेश अनुसार दि. 21-1-26 को पेश है</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी वैर</b></p>	<p>Must present</p>

NAT- प्रश्न कर इसी स्तर पर खादिया  
करने का निर्दिष्ट किया। अतः प्राथमिक  
पत्र प्राप्त 1957 प्राप्त के NAT- प्रश्न  
के आधार पर इसी स्तर पर खादिया  
विभाषा में ही प्रश्न प्रश्न प्रश्न  
नम्बर खेकन ही बाद - तकनीक  
खादिया - मूल बाद ही